

**लिमिटेड**

LC107286  
एल. कबीर  
052  
@yahoo.in

पूचीयन दायित्व के विनियमन तलन में कम्पनी 14 अगस्त, स्ट्रियल एरिया, त एवं कॉर्पोरेट अन्य विषयों के शा वर्ष के लिये पर विचार, 2015 के हिता में यथा में कारोबार से 16 अगस्त, 2019

www.srus-साईट अर्थात् .com पर भी

रेड के लिये हस्ता./- दीक्षा गंधी कम्पनी सचिव



31, 2019

संरक्षण में, जो समाप्त पंजीकी के प्रोपॉजिशन प्रायोजित

वेबसाइट (एस) धिकारी

**यवस्था मंत्रण**

अनुसरण में के प्रभाव से देनदार का

ड के मामले, समापक को 2013 की धारा

अधिनियम, जो जाती है। क हैं, उनको मेल आईडी

म वेबसाइट एक डेटा/ नुनति प्रदान

वचनबद्धता लेनदारों के वन मूल्य के विनियमों के

उपगत की भी संदर्भ में

कुमार रलहन 018/11614 परिस्नापक वेबसाइट 128, 1304, नारत mail.com

**ओरियंट बेल लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : 8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205 (उ.प्र.)  
कॉर्पोरेट कार्यालय : आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110 046  
सीआईएन : एल14101यूपी1977पीएलसी021546, फोन : +91-11-47119100  
ई-मेल : customercare@orientbell.com वेबसाइट : www.orientbell.com

**शेयरधारकों को सूचना**  
कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण

एतद्वारा यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कॉर्पोरेट मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित और समय समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण और प्रतिनिचयन) नियमावली, 2016 (नियमावली) के प्रावधानों के अनुसरण में दी जा रही है।

उक्त नियमावली में, अन्य विषयों के साथ, ऐसे सभी शेयरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने का प्रावधान शामिल है, जिनके संबंध में पिछले सात लगातार वर्षों अथवा अधिक अवधि हेतु लामांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा भुगतान की मांग नहीं की गई है।

तदनुसार कम्पनी के उन सभी शेयरधारकों को उनके अंतिम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की जा चुकी है, जिनके शेयर उक्त नियमावली के तहत आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी ऐसे शेयरधारकों के नाम और आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट [www.orientbell.com](http://www.orientbell.com) पर अपलोड कर चुकी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, इन सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष 2011-12 से आगे के अपने अदत्त लामांश की मांग हेतु एक आवेदन कम्पनी/इसके रजिस्ट्रार के समक्ष 15-08-2019 तक प्रस्तुत करें, ताकि उनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित नहीं किए जाएं। कृपया यह नोट करें कि यदि कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार द्वारा कोई मांग/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कम्पनी, आगे कोई सूचना दिए बिना, उक्त नियमावली में निर्धारित सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, उपरोक्त शेयर आईईपीएफ को अंतरित करने हेतु बाध्य होगी। प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं - डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना और उनको आईईपीएफ को अंतरित करना।
- यदि शेयर अ-भौतिक रूप में धारित हैं - सदस्य के डीपी को शेयर सीधे आईईपीएफ को अंतरित करने हेतु अनुरोध जारी करना।

कृपया नोट करें कि ऐसे शेयरों पर उद्भूत होने वाले सभी भावी लाभ, लामांश भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिए जाएंगे।

सभी शेयरधारकों से उपरोक्त प्रावधान नोट करने तथा समय समय पर अदत्त सभी लामांशों की मांग करने का अनुरोध किया जाता है।

यह भी नोट करें कि वर्तमान नियमों के अनुसार शेयरधारक आईईपीएफ को अंतरित शेयर तथा उन पर समय समय पर उद्भूत लाभ आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस करने की मांग, उक्त नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के परचात, कर सकते हैं।

सदस्यगण, इस संबंध में किसी भी सच्चीकरण के लिए, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट : ओरियंट बेल लिमिटेड, एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर : +91-11-41406149, ई-मेल : [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) से सम्पर्क कर सकते हैं।

वास्ते ओरियंट बेल लिमिटेड हस्ता./- योगेश मेंदीरत्ता कम्पनी सेक्रेटरी एवं हेड लोगल

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 01/08/2019



कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट,  
2 रा तल, एमआरजे टावर, फेज रोड,  
करोलबाग, नई दिल्ली- 110005  
फोन: 011-28759718/ 28753821  
ई-मेल: [delhicbu@kvbmail.com](mailto:delhicbu@kvbmail.com)

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तन्ना प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्ट्रों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करर वैश्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है, की 1) मै. आजाद इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: खसरा नं. 73/19/2 तथा 22/1, रोहतक रोड, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली-110041, 2) श्री अनिल कुमार गोयल, पुत्र श्री प्रेम सागर गोयल, एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 3) श्री आकाश गोयल, पुत्र श्री अनिल कुमार गोयल, एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 4) श्रीमती रेणु अग्रवाल, पत्नी श्री सुमित गोयल, एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 5) श्रीमती सुमन रानी, पत्नी श्री अनिल कुमार गोयल, एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 6) श्री सुमित गोयल, पुत्र श्री चांद गोयल, एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 से करर वैश्य बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडिटर के बकाये रु. 424315262.82 (रुपये ब्यालिस करोड़ तैंतालिस लाख पन्द्रह हजार दो सौ बासठ तथा पैंसे ब्यासी मात्र) को वसूली के लिये 11.9.2019 (बिक्री की तिथि) को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 35301000/- (रुपए तीन करोड़ तिड़पन लाख एक हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 3530100/- होगा।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्रीमती रेणु अग्रवाल, पत्नी श्री सुमित गोयल के नाम में स्थित मुंडका, दिल्ली-41 की राजस्व सम्पदा में भूमि माप 435.5 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 73/11/1 (0-08), 11/2 (0-02) पर व्यावसायिक सम्पत्ति की भूमि में स्थित व्यावसायिक भूमि तथा भवन।

चौहद्दी इस प्रकार है:

उत्तर: अन्य सम्पत्ति दक्षिण: मैन रोहतक रोड तथा मेट्रो स्टेशन  
पूर्व: अन्य प्लॉट पश्चिम: अन्य प्लॉट।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर को वेबसाइट अर्थात् [www.kvb.co.in/Property Under Auction](http://www.kvb.co.in/Property Under Auction) में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै. श्रीराम अटॉमाल इंडिया लि. का वेब पोर्टल <https://www.eauctions.samil.in> देखें।

सर्फेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की साविधिक बिक्री सूचना एतद्वारा ऋणधारक/ गारन्ट्रों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चों के साथ उक्त राशि का भुगतान करे अन्यथा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

तिथि: 02.08.2019

स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी  
द करर वैश्य बैंक लिमिटेड



**STANDARD CHARTERED PLC**

(Standard Chartered PLC (the "Company") was incorporated in England and Wales on November 18, 1969 and registered as a public limited company under company number 00966425.)

Registered Office and Principal Place of Business in the UK: 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD  
Tel: +44 (0)20 7885 8888; Fax: +44 (0)20 7885 7337, Website: [www.sc.com](http://www.sc.com); Email: [group-corporate.secretariat@sc.com](mailto:group-corporate.secretariat@sc.com)  
Compliance Officer for IDRs: Ekta Lalwani; Tel: +91 22 6115 7853; Fax: +91 22 2675 7733; Email: [ekta.lalwani@sc.com](mailto:ekta.lalwani@sc.com)

**SURRENDER AND SALE PROGRAM FOR THE INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS ("IDRs")**

The Company issued 240,000,000 IDRs with every 10 IDRs representing one ordinary share of US\$ 0.50 nominal value ("Shares") of the Company, in June 2010.

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations") and the Deposit Agreement dated May 8, 2010 entered into between the Company and Standard Chartered Bank, Mumbai (the "Domestic Depository") (as amended), the Company had extended to the holders of IDRs (the "IDR Holders"), an option to surrender IDRs held by them (between June 17, 2019 to August 2, 2019 (the "Surrender Period")) and request the sale of the Shares underlying such IDRs on the London Stock Exchange ("LSE") (the "Surrender & Sale Process").

For the benefit of the IDR Holders, the Company has now decided to extend the Surrender Period for the Surrender & Sale Process, up to August 30, 2019. Accordingly, the last date for the IDR Holders to submit instructions for surrender of the IDR held by them under the Surrender & Sale Process and request the sale of the Shares underlying such IDRs on the LSE is **August 30, 2019**, instead of August 2, 2019.

In this regard, the Surrender & Sale Operating Guidelines, which set out the details of the Surrender & Sale Process and the mechanisms for participation by the IDR Holders in the Surrender & Sale Process, submitted by the Company to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (the "Indian Stock Exchanges") on June 14, 2019, have been suitably amended to reflect the extension of the Surrender Period up to August 30, 2019. The amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines have been submitted to the Indian Stock Exchanges on August 1, 2019. A copy of the amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines is also available at the locations detailed at the end of this announcement.

The Company shall send another letter (along with the Instruction Letter) in relation to the extension of the Surrender Period up to August 30, 2019, to each of the IDR Holders, appearing in the register of 'IDR Holders' as on July 26, 2019, by speed post at their Indian address only, and as an email to those IDR Holders who had registered their email address with the Registrar for receiving Company related communication via email.